(To be published in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary)

Govt. of NCT of Delhi
Department of Social Welfare & Women & Child Development
G. L. N. S. Complex, Delhi Gate, New Delhi

F 41(230)/DSW/FAS/Pen. Enhance/2016-17/30315-325 **Dated:** 14 FEB 2017

NOTIFICATION

F 41(230)/DSW/FAS/Pen. Enhance/2016-17:- The Lt. Governor of Delhi is pleased to make the following amendment in the below-mentioned schemes:

1. **The Old Age Assistance Rules, 2009** as published in the Delhi Gazette vide Notification No. F 41 (21)/DSW/FAS/Sch. Amend/09-10/1892-1904 dated November 4, 2009 and subsequent amendments, including amendment vide notification No. F 41(8)/FAS/DSW/Enhance/2007-08/2358-2368 dated November 11, 2011.

Amendment in Rule 4 (c)

In Rule 4 (c), the family income of the applicant is modified to be not more than Rs. 1,00,000/- p.a. (Rs. One lakh per annum) and the rule shall now read as under:

"The applicant shall be entitled for financial assistance if his/her annual family income is not more than Rs. 1,00,000/- p.a. (Rs. One lakh per annum) from all sources."

Amendment in Rule 7 (a)

In Rule 7 (a) the quantum of assistance has been enhanced by Rs. 1000/- per month and the rule shall now read as under:

"Subject to the fulfillment of the provisions of the scheme, an allowance of Rs. 2000/- per month (Rs. two thousand per month) to beneficiaries aged 60- 69 years and Rs. 2,500/- per month (Rs. two thousand and five hundred per month) to beneficiaries of age 70 years and above will be remitted on monthly basis to the bank accounts of the beneficiaries. This enhanced quantum will be payable only to those beneficiaries who have linked their bank accounts with Aadhaar and are receiving pension through Aadhaar Payment Bridge System (Direct Benefit Transfer after seeding/linking with Aadhaar).

An additional amount of Rs. 500/- per month will be given to 60-69 year old beneficiaries belonging to SC/ST/Minority communities who provide their relevant dcouments."

2. **The Financial Assistance to Persons with Special Needs, 2009** as published in the Delhi Gazette vide Notification No. F 41 (21)/DSW/FAS/Sch. Amend/09-10/1880-1891 dated November 4, 2009 and subsequent amendment vide notification no. F 3(1)/FAS/UAPWD/DSW/06-07/979-990 dated August 6, 2012

Amendment in Rule 4 (viii)

In Rule 4 (viii), the family income of the applicant is modified to be not more than Rs. 1,00,000/- p.a. (Rs. One lakh per annum) from all sources.

Amendment in Rule 7 (a)

In Rule 7 (a) the quantum of assistance has been enhanced by Rs. 1,000/- per month and the rule shall now be read as under:

"Subject to the fulfillment of the provisions of the scheme, an allowance of Rs. 2,500/- per month (Rs. two thousand and five hundred per month) will be remitted on monthly basis to the bank accounts of the beneficiaries. This enhanced quantum will be payable only to those beneficiaries who have linked their bank accounts with Aadhaar and are receiving pension through Aadhaar Payment Bridge System (Direct Benefit Transfer after seeding/linking with Aadhaar)."

The above amendments shall be effective from the month of notification.

BY ORDER AND IN THE NAME OF
THE LT. GOVERNOR OF THE NCT OF DELHI

(Dr. Dilraj Kaur)
Secretary, Social Welfare
& Women & Child Development

F 41(230)/DSW/FAS/Pen. Enhance/2016-17/30315-325 **Dated:** 14 FEB 2017

Copy forwarded for information to:-

1. Secretary to the Lt. Governor of Govt. of NCT of Delhi
2. Secretary to the Chief Minister of Govt. of NCT of Delhi
3. Secretary to the Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi
4. Secretary to the Dy. Speaker of Delhi Legislative Assembly, Delhi
5. Secretary to the Minister of Food & Supply, Govt. of NCT of Delhi
6. Secretary to the Minister- Finance, Govt. of NCT of Delhi
7. Secretary to the Minister Industries, Govt. of NCT of Delhi
8. Secretary to the Minister Education, Govt. of NCT of Delhi
9. Secretary to the Minister Health, Social Welfare & Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi
10. Secretary to the Minister Urban Development, Govt. of NCT of Delhi
11. Private Secretary to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi

(Dr. Dilraj Kaur)
Secretary, Social Welfare
& Women & Child Development

दिल्ली राजपत्र भाग चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग
राजकीय लेडी नौएल स्कूल परिसर, दिल्ली गेट, दिल्ली– 110002

स.फा. 41(230)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/पेंशन वृद्धि/2016–17/30315-325 दिनांक 14 FEB 2017

अधिसूचना

स.फा. 41(230)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/पेंशन वृद्धि/2016–17:– दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अधोलिखित योजनाओं में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. **वृद्धावस्था सहायता नियमवाली, 2009** :–दिनांक 4 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना स. फा. 41(21) डीएसडब्ल्यू/एफएएस/स्की. संशो0/09–10/1892–1904 के अनुसार, दिल्ली राजपत्र में यथा प्रकाशित तथा वृद्धावस्था सहायता नियमवाली, 2009 और दिनांक 11 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना स. फ. 41(8)/डीएसडब्ल्यू/ एफएएस/वृद्धि/2007–08/2358–2368 के अनुसार संशोधन सहित अनुवर्ती संशोधनः

नियम 4(ग) में संशोधन

नियम 4(ग) में आवेदक की पारिवारिक आय रूपये 1,00,000/– (एक लाख रूपये प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए, को आशोधित किया जाता है और अब नियम को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

"वही आवेदक पात्र होगा जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से रूपये 1,00,000/– (एक लाख रूपये प्रति वर्ष) से अधिक नहीं है"

नियम 7(क) में संशोधन–

नियम 7(क) में, सहायता राशि प्रति माह रूपये 1000 (एक हजार रूपये) बढ़ाया गयी है और अब नियम को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:

"योजना के प्रावधानों की पूर्ति के अधीन लाभार्थियों के बैंक खातों के आधार पर 60–69 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रति माह 2000 रूपये (दो हजार रूपये) का भत्ता और 70 वर्ष तथा इससे अधिक की आयु के लाभार्थियों को प्रति माह 2500 रूपये (दो हजार पांच सौ रूपये) का भत्ता मासिक आधार पर प्रदान किया जायेगा। यह बढ़ी धनराशि केवल उन लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े है या जो आधार भुगतान पुल प्रणाली से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं (आधार के साथ जोड़ने के बाद प्रत्यक्ष लाभ का अन्तरण)।

रूपये 500/– (रूपये पांच सौ) प्रति माह की अतिरिक्त राशि सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले उन लाभार्थियों को प्रदान की जायेगी जिनकी आयु 60–69 वर्ष हो और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बंधित हैं।

2. विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, 2009, दिनांक 4 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना स. फा. 41(21) डीएसडब्ल्यू/एफएएस/स्की. संशो0/09–10/ 1880–1891 के अनुसार दिल्ली राजपत्र में यथा प्रकाशित तथा दिनांक 06 अगस्त, 2012 की अधिसूचना स. फ. 3(1)/एफएएस/यूएपीडब्ल्यूटी/डीएसडब्ल्यू/2006–07/979–990 के अनुसार अनुवर्ती संशोधनः

नियम 4(viii) में संशोधन

नियम 4(viii) में आवेदक की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से रूपये 1,00,000/– (एक लाख रूपये प्रति वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए, को आशोधित किया जाता है :

नियम 7(क) में संशोधन :

नियम 7(क) में, सहायता राशि प्रति माह रूपये 1000 (एक हजार रूपये) बढ़ाया गयी है और अब नियम को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए:

"योजना के प्रावधानों की पूर्ति के अधीन लाभार्थियों के बैंक खातों के आधार तथा लाभार्थियों को प्रति माह 2500 रूपये (दो हजार पांच सौ रूपये) का भत्ता मासिक आधार पर प्रदान किया जायेगा। यह बढ़ी धनराशि केवल उन लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े है या जो आधार भुगतान पुल प्रणाली से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं (आधार के साथ जोड़ने के बाद प्रत्यक्ष लाभ का अन्तरण)।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना के माह से प्रभावी होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर

(डॉ. दिलराज कौर)
सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास

स.फा. 41(230)/डीएसडब्ल्यू/एफएएस/पेंशन वृद्धि/2016–17/30315-325 **दिनांक:** 14 FEB 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
4. सचिव, उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
5. सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, उद्योग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

(डॉ. दिलराज कौर)
सचिव, समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास